



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 372 राँची, शुक्रवार, 3 श्रावण, 1947 (श०)
25 जुलाई, 2025 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

25 जुलाई, 2025/श्रावण 03, 1947 (शक)

सं.480/रि.आ-स.रि.आ./2025 (II)--राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा श्रीमती गरिमा जैन, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली और श्री विजय कुमार, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली को, रिटर्निंग आफिसर की उनके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

आदेश से,

(सुमन कुमार दास),

सचिव।

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार),

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION25th July, 2025/Sravana 03, 1947 (Saka)

No.480/RO-ARO/2025(II)— In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission hereby appoints Ms. Garima Jain, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi and Shri Vijay Kumar, Director, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi to be the Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2025 in discharge of his official functions.

By Order,

(SUMAN KUMAR DAS),
SECRETARY
